<u>भाग – IV / Part – IV</u> अनुबंध - I / ANNEXURE – I

फॉर्म डीएन – 1	(कटे – फटे नोटों के लिए टोकन)				
Form DN-1	(Token for mutilated notes)				
मूल प्रति (प्रस्तुतकर्ता के लिए)					
Original (For the tenderer)					
(बैंक का नाम)	क्रम. सं				
(Name of the Bank)	Sr. No.				

(शाखा का नाम)

(Name of Branch)

नोट	संख्या	मूल्य
(NOTE)	(PIECES)	(VALUE)
		रु. Rs.
1/-		
2/-		
5/-		
10/-		
20/-		
50/-		
100/-		
200/-		
500/-		
2000/-		
जोड:		
TOTAL		

Date

तारीख

प्राप्तकर्ता के आद्याक्षर Receiver's Initials

(i) यह टोकन भुगतान के लिए उसी दिन प्रस्तुत किया जाये। This token should be produced for payment on the same day.

(ii) प्रस्तुतकर्ता टोकन के पीछे अपना नाम व पता लिखें |

Tenderer should write his name and address on the reverse of the token.

(iii) अस्वीकृत नोट प्रस्तुतकर्ता को लौटाये नहीं जायेंगे | Notes rejected shall not be returned to the tenderer

फॉर्म डीएन – 1 Form DN-1

(कटे – फटे नोटों के लिए टोकन) (Token for mutilated notes)

दूसरी प्रति (बैंक के लिए, नोटों के साथ रखी जानी है) Duplicate (For the bank to be kept with the notes)

(बैंक का नाम)		
(Name of the Bank)		

(शाखा का नाम)

(Name of Branch)

नोट		
नाट	संख्या	मूल्य
(NOTE)	(PIECES)	(VALUE)
		रु. Rs.
1/-		
2/-		
5/-		
10/-		
20/-		
50/-		
100/-		
200/-		
500/-		
2000/-		
जोड:		
TOTAL		

अदा करे PAY	आधा मूल्य अदा करे
नियत अधिकारी	PAY HALF VALUE
Prescribed Officer	नियत अधिकारी
	Prescribed Officer

प्राप्तकर्ता के आद्याक्षर	अस्वीकृत करे REJECT
Receiver's Initials	नियत अधिकारी Prescribed Officer

(i) यह टोकन भुगतान के लिए उसी दिन प्रस्तुत किया जाये ।

This token should be produced for payment on the same day.

(ii) प्रस्तुतकर्ता टोकन के पीछे अपना नाम व पता लिखें |

Tenderer should write his name and address on the reverse of the token.

(iii) अस्वीकृत नोट प्रस्तूतकर्ता को लौटाये नहीं जायेंगे |

Notes rejected shall not be returned to the tenderer.

क्रम. सं

Sr. No.

तारीख Date

(राशि रुपयों में) (Amount in Rupees)

प्राप्त, अदा किये गये और अस्वीकृत कटे – फटे नोटों का रजिस्टर

Register of mutilated notes received, paid and rejected

तारीख	टोकन	प्राप	न्त		नोट जिनका पूरा मूल्य अदा किया गया										नोट जिनका पूरा मूल्य अदा किया गया नोट जिनका आधा मूल्य अदा किया ग						किया गर	ग	अस्वीव	कृत नोट							
Date	सं.				(नोटों की संख्या)											(7	नोटों की	संख्या)				_									
	Token	Rec	eipt		NOTES PAID FOR FULL VALUE										NO	TES PA	AID FC	R HALF	VALUE		No	otes									
	No.														(Number of Pieces)								(Number of Pieces)			(Number of Pieces)				Rejected	
		कुल नोट	मूल्य	1								50	100	200	500	2000	T.Ps	Value	T.Ps	Value											

		पूरा मूल्य		अद्याक्षर		अस्वीकृत नोट /		अद्याक्षर		टिप्पणी
अद्याक्षर	लेखाकार	अदा किये गये				आधा मूल्य अदा				
अदाकर्ता		नोटों को नष्ट		Initials of		किये गये नोटों		Initials of		Remarks
लिपिक	Acctt.	करने की				को नष्ट करने				
		तारीख				की तारीख				
Initials of										
Paying		Date of				Date of				
Clerk		Destruction				Destruction of				
		of full value	नियत	उप को. / प्र.	प्र. / स.म.प्र	half value	नियत	उप को. / प्र.	प्र. / स.म.प्र	
		paid notes	अधिकारी			paid/rejected	अधिकारी			
				Dy. TR/	Mgr/AGM	notes		Dy. TR/	Mgr/AGM	
			Prescribed	Mgr.			Prescribed	Mgr.		
			Officer				Officer			

फॉर्म डीएन - 3 Form DN-3

> (बैंक/ शाखा का नाम) (Bank / Branch Name)

> > केस सं. डी. एन ---Case No. DN of ---तारीख : Dated:

श्री / श्रीमती Shri / Smt. _____

प्रिय महोदय / महोदया , Dear Sir / Madam <u>कटे- फटे नोटों पर दावा</u> Claim on Mutilated notes

हम यह सूचित करते हैं कि आपने मूल्य की अदायगी के लिए, जो निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किए थे उनकी अदायगी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत ऐसे दोषपूर्ण नोटों का भुगतान करने के लिए जो शर्ते अपेक्षित हैं वो पूरी नहीं होतीं ; देखे नीचे की मद सं.

We advise that the under mentioned notes tendered by you for payment of value cannot be paid as the conditions under which payment can be made on such defective notes under the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules are not satisfied vide items (s) -----

(नोट के ब्योरे और मूल्यवर्ग हाशिये में दिये गये हैं) (Details of pieces and denomination are shown in the margin) (अस्वीकृति के कारण) (Reason for rejection)

(क) यह/ ये नोट, वास्तविक नोट/ नोटों के रूप में नहीं पहचाना जाता/ पहचाने जाते, जिसके/ जिनके भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार है – नियम 6(3)(i)

(A) Notes (s) cannot be identified as genuine note (s) on which the Bank is liable to pay –
Rule 6(3) (i).

(ख) नोट इस प्रकार व्यवहार में लाया गया है/ लाए गए हैं (जरूरी नहीं कि दावेदार द्वारा व्यवहार में लाए गए हों) कि नियम 6(3) (ii) के अंतर्गत उसे/ उन्हें अस्वीकृत करना पड़ा।

(B) Note (s) seem (s) to have been dealt with (not necessarily by claimant) in such manner as to entail rejection under Rule 6(3) (ii).

(ग) नोट/ नोटों पर अनावश्यक शब्द लिखे गए हैं, जो कि राजनैतिक स्वरूप का संदेश देते हैं या उनसे ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है --- नियम 6(3) (iii)

(C) Notes carry/ carries extrinsic words of visible representations intended to convey or capable of conveying message of political character – Rule 6(3) (iii).

(घ) लगता है कि नोट गैर कानूनी रूप से भारत में लाया गया है/ लाए गए हैं – नियम 6(3) (iv)

(D) Note (s) appear (s) to have been illegally imported into India – Rule 6(3) (iv).

(ङ) निर्दिष्ट अधिकारी/ बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी दावेदार ने निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की – नियम 6(3)(v)

(E) Information called for by the prescribed Officer/ Bank not furnished by claimant within stipulated period – Rule 6(3) (v). (च) प्रस्तूत किया गया/ किए गए सरकारी नोट नियम 2 में दी गई शर्त पूरी नहीं करता/ करते।

(F) Government Note (s) presented does/ do not satisfy the conditions stipulated in Rule2.

(छ) बीस रुपए तक के मूल्यवर्ग के प्रस्तुत किए गए नोट का सबसे बड़ा अविभाजित क्षेत्र उस नोट के क्षेत्र के 50% के बराबर या उससे कम है | नियम 8(1) (ii)

(G) The area of the largest undivided piece of the note presented is less than or equal to 50% of the area of the note upto Rs. 20/- denomination – Rule 8(1) (ii).

(ज) पचास रुपए और उससे अधिक मूल्यवर्ग के प्रस्तुत किए गए नोट का सबसे बड़े अविभाजित क्षेत्र संबंधित मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 40% से कम है – नियम 8(2) (iii)

(J) The area of the single largest undivided piece of the note is less than 40% of the area of the respective denomination for the note of Rupee Fifty and above – Rule 8(2) (iii).

(झ) प्रस्तुत किए गए दोनों टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा नियम 8(1) (i) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र को पूरा नहीं करता है – नियम-9 (ख)

(I) None of the two pieces presented meets the minimum area stipulated as per the Rule
8(1)(i) – Rule 9 (b).

(ञ) नियम 8(2) (ii) के अन्सार नोट के अंकित मूल्य का आधा मूल्य ही अदा किया गया है।

(J) Only half of the face value of the note(s) is paid in terms of Rule 8(2) (ii).

2. अस्वीकृत नोट इस कार्यालय में रख लिया गया है/ लिए गए हैं और यथासमय नष्ट कर दिया जाएगा/ कर दिए जाएंगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के नियम 11 के अनुसार अन्य प्रकार से निपटाया जाएगा/ निपटाए जाएंगे।

2. The rejected note(s) has/ have been retained in this office and will in due course be destroyed or otherwise disposed of in terms of Rule 11 of the Reserve Bank of India (Note refund) Rules 2009.

भवदीय Yours Faithfully

शाखा प्रबंधक के लिए For Branch Manager

- नोट: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 10(2) के अनुसार किसी भी प्रकार के दावे के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
- Note: (i) In terms of Rule 10(2) of Reserve Bank of India (Note refund) Rules, 2009 the decision of the Prescribed Officers or the Bank in regard to any claim shall be final.

(ii) नियम 11(ब) में दिए गए उपबंध को छोड़कर अन्य स्थितियों में, भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अंतर्गत प्रस्तुत कोई भी दोषपूर्ण नोट बैंक अपने पास रख लेगा और भुगतान के पश्चात किसी भी समय अथवा दावा अस्वीकृत करने की तारीख से 3 महीने की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, नष्ट कर देगा या अन्य प्रकार से निपटान करेगा।

(ii) Save as provided in Rule 11(b), any defective note presented under Reserve Bank of India (Note refund) Rules, 2009 shall be retained by the Bank and destroyed or otherwise disposed of at any time after payment or on the expiry of period of 3 months from the date of rejection of the claim as the case may be.